



जनपद शामली पुलिस



--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेसविज्ञप्ति

दिनांक 13.03.2023

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप अपराधियों के विरुद्ध शामली पुलिस की प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने के मामले में 01 अभियुक्त को माननीय न्यायालय स्पेशल जज पोक्सो एक्ट मुजफ्फरनगर द्वारा सुनाई आजीवन कारावास की सजा एवं 54,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया:-

वर्ष 2017 में अभियुक्त बिलाल पुत्र रोशन निवासी मौहल्ला शेखो मैदान थाना झिंझाना जनपद शामली के विरुद्ध मु0अ0सं0 901/2017 धारा 363,366,343,376 भादवि, 5/6 पोक्सो एक्ट व 3(2)5 एससी एसटी एक्ट के अन्तर्गत थाना कोतवाली शामली जनपद शामली में अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसमें अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए शामली पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय स्पेशल जज पोक्सो एक्ट मुजफ्फरनगर में प्रेषित किया गया था। उक्त मुकदमें में अभियुक्त को सजा कराए जाने के लिए पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा शामली पुलिस को मा 0 न्यायालय मु 0नगर में प्रभावी पैरवी करने के लिए निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 13.03.2023 को माननीय न्यायालय स्पेशल जज पोक्सो एक्ट मुजफ्फरनगर द्वारा अभियुक्त बिलाल को धारा 5/6 पोक्सो एक्ट में आजीवन कारावास व 30,000 रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 वर्ष का अतिरिक्त कारावास तथा धारा 366 भादवि व 3(2)5 एससी एसटी एक्ट में आजीवन कारावास की सजा व 20,000 रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 वर्ष का अतिरिक्त कारावास व धारा 363 भादवि (बहला फुसलाकर ले जाने) में 03 वर्ष साधारण कारावास व 3000 रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह के अतिरिक्त कारावास व धारा 343 भादवि में 01 वर्ष का कठोर कारावास व 1,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है, अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है।

नाम व पता अभियुक्त:-

1.बिलाल पुत्र रोशन निवासी मौहल्ला शेखो मैदान थाना झिंझाना जनपद शामली।

थाना कोतवाली शामली

थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा 01 सट्टेबाज गिरफ्तार, कब्जे से नकदी 1060/- रुपये व पर्चा सट्टा गत्ता पेंसिल बरामद:-

आज दिनांक 13.03.2023 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाए जा रहे अपराध की रोकथाम एवं अपराध में लिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा सूचना पर 01 सट्टेबाज अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। मौके से सट्टे हेतु प्रयोग की जा रही नकदी 1060/- रुपये एवं पर्चा सट्टा गत्ता पेंसिल बरामद हुई है। गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना कोतवाली शामली पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता अभियुक्तगण:-

1. अंकुश पुत्र नरेश निवासी बूढा बाबू थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण:-

1- नकदी 1060/- रुपये।

2- पर्चा सट्टा गत्ता पेंसिल।

